

21/12/17

अभि. अधीनान्त/रेसों उपस्थित
पूर्व आवेदक की पालना होकर मिसल वास्ते वकस
दिनांक 05/01/18 को पेश हो।

05/01/18

अभि. अधीनान्त/रेसों उपस्थित
पूर्व आवेदक की पालना होकर मिसल वास्ते वकस
दिनांक 16/03/18 को पेश हो।

16-02-18

पुनश्च: इतना लिखे जाने पर अधिवक्ता
ट्रेस्पॉडेन्ट ने फर् के साथ अधिवक्ता
न्यायालय उपरवर्त अधिकारी चारुसू
के साथ सन् 11/6/2012 में पारित निर्णय
व डिडी दिनांक 21/12/2017 की कोमेपारि
प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि
इस अधिवक्ता निवेद्या के विरुद्ध प्रस्तुत
कपील से सम्बन्धित मूल वाड को
अधिवक्ता न्यायालय द्वारा दिनांक 21/12/17
को निर्णित कर दिया गया। जिससे यह
कपील सारहीन हो गई है। कतः शर्तित
करतारि वाले। हमने अधिवक्ता ट्रेस्पॉडेन्ट
द्वारा प्रस्तुत अधिवक्ता न्यायालय के निर्णय
व डिडी दिनांक 21/12/2017 का कतलोकन
किया। पूर्वी इस 225 शर्तव्यान काशतकारी
अधिवक्ता से सम्बन्धित मूल वाड का
निस्तारण अधिवक्ता न्यायालय द्वारा किया
जा चुका है। कतः अब यह 225 शर्तव्यान
काशतकारी अधिवक्ता की कपील सारहीन
हो गई है। कतः कपील कपीलायी सारहीन
होने से शर्तित ही वाली है। तदनुसार
पगावली फैसल सुनार होकर वाड तबकील
सारहील दफ्तर ही। कतः सुनाया गया।